रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062022-236737 CG-DL-E-22062022-236737

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] No. 444] नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2022/आषाढ 1, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2022/ASHADHA 1, 1944

#### नागर विमानन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

सा.का.नि. 465(अ).—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 9ए और धारा 14 के परन्तुक के साथ पिठत धारा 5 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (औ) तथा खण्ड (आर.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, यथा:-

- 1. लघु शीर्ष और प्रारंभन:- (i) इन नियमों का नाम, नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015, अनुसूची- ॥, अनुछेद1, उप-अनुछेद 1.3, खंड 1.3.1.4 में, निम्नलिखित परंतुक को अन्त:स्थापित जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि संबंधित हवाईअड्डा ऑपरेटर द्वारा यथा घोषित और नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किए अनुसार, यदि सीमा स्थायी रूप से विस्थापित हो गई है, तो अप्रोच निर्धारित करने के लिए विस्थापित सीमा को संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जाएगा।"।

[फा. सं. एवी-24011/28/2017-एएआई-एमओसीए]

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

4169 GI/2022 (1)

नोट: प्रधान नियम, दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड में (i) में दिनांक 30 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 14 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610 (अ) द्वारा संशोधित किए गए थे और दिनांक 17 दिसंबर, 2020 की अधिसुचना संख्या सा.का.नि. 770 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

- **G.S.R.** 465(E).—In exercise the powers conferred by sub-section (1) and clause (o) and clause (r) of sub-section (2) of section 5 read with section 9A and provisio to section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015 namely:-
- **1.** Short title and commencement:- (1) These rules shall be called the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, in Schedule-II, in paragraph 1, in sub-paragraph 1.3, in clause 1.3.1.4, the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided that in case the threshold has been displaced permanently, as declared by the concerned airport operator and approved by the Director General of Civil Aviation, the displaced threshold shall be taken as reference point for determining the approach."

[F. No. AV-24011/28/2017-AAI-MOCA]

RUBINA ALI, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 1<sup>st</sup> October, 2015, vide notification number G.S.R. 751(E) dated 30<sup>th</sup> September, 2015 and amended vide notification number G.S.R 610(E) dated 14<sup>th</sup> June, 2016 and last amended vide notification number G.S.R. 770(E) dated 17<sup>th</sup> December, 2020.